UPJB010035252026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जिला अमरोहा ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–913/2026

अरूण खटाना पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी ग्राम ईश्वरदेवा , थाना बछरांयू , जिला अमरोहा ।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–68/2026
धारा–**109 / 3(5) बी.एन.एस.**
थाना–गजरौला , जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः 05.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त **अरूण खटाना** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा **ममता देवी** द्वारा संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस अभिकथन के साथ दर्ज करायी गयी कि उसके पति भूपेन्द्र सिंह जो शराब ठेका अंग्रेजी पक्का पूल के बराबर में नमकीन व पानी की कैन्टीन चलाते हैं। दिनांक 23.02.2026 को समय करीब 09.20 पी.एम. पर रात कैन्टीन पर बैठे थे तथा उनका नौकर सतीश दुकान का सामान रख रहा था, तभी कैन्टीन के बराबर में किसी ने उसके पति को जान से मारने की नियत से उन पर फायर झोंक दिया , जो उनके सिर की दाहिनी तरफ आंख व कान के बीच में गोली लगी। वादिनी व उसके पति को गोली मारने का शक मनि यादव व अरूण खटाना पर है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त का कहना है कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसका नाम केवल शक के आधार पर बताया गया है। वह कथित घटना दिनांक को कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं था , बल्कि पानीपत था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत की शर्तों का प्रार्थी पालन करेगा , इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

4. अभियोजन/वादी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः–

1. चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में चेहरे, माथे, नाक व गर्दन पर गनशॉट इन्जरी के निशान हैं। नाक व गर्दन पर ब्लैकनिंग पायी गयी, जो नजदीक से गोली मारना दर्शा रहा है।

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.05 15:26:12 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. इस अभियुक्त अरूण खटाना के विरूद्ध मामला विवेचनाधीन है , अभी विवेचना चल रही है। अभियोजन का यह कहना है कि अभियुक्त को जमानत दिये जाने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है और अभियुक्त फरार भी हो सकता है।

3. सह–अभियुक्त की जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में विचार करने के उपरान्त अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र **खारिज** किया जा रहा है।

दिनांक–05.06.2026

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।